यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- रुद्रप्रयाग के माह 11/2017 से 11/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री एस.के. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 12.12.2018 से 22.12.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री गौरव पंत, व. लेखापरीक्षक एवं श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.10.2017 से 10.11.2017 तक श्री ए. सी. कटियार, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2016 से 10/2017 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः विभाग का सृजन ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के नाम से सन 1972 में हुआ। उत्तर प्रदेश से विभाजित उत्तराखण्ड राज्य में ग्राम्य विकास विभाग के विभिन्न विकास कार्यों के निर्माण कार्य का दायित्व विभाग को सौपा गया है। विभागीय पुनर्गठन के पश्चात ग्रामीण निर्माण विभाग के नाम से विभाग वर्तमान में विभिन्न विभागों के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण, नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण, पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुन:निर्माण एवं विभिन्न खेल मैदानों का निर्माण आदि कार्य जो सुदूर आँचलों में स्थित है, का निष्पादन करवाया जाता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर- स्थापना				
	आवंटन धनराशि	व्यय धनराशि	बचत	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अवशेष
2015-16	140.86	104.80	36.06	1357.41	1014.69	2372.10	1196.59	1175.51
2016-17	118.96	116.87	2.09	1175.51	512.01	1687.52	947.79	739.73
2017-18	146.00	125.48	20.52	739.73	750.12	1489.85	642.33	847.52
2018-19 (till 11.2018)	140.16	86.97	53.19	847.52	1128.59	1976.11	937.97	1038.14

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तियां (क) केंद्रान्श (ख) राज्यांश (ग) अन्य प्राप्तियां			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष			---	---	---	---	---
प्रारम्भिक अवशेष		---	---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
कुल प्राप्तियाँ			---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान कुल व्यय			---	---	---	---	---
अंतिम अवशेष			---	---	---	---	---

iii). विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

<u>तकनीकी संवर्ग (1).</u> मुख्य अभियंता (स्तर – 1), **(**2).मुख्य अभियंता (स्तर- 2), **(**3). अधीक्षण अभियंता (परिमण्डलवार), **(**4). अधिशासी अभियंता (प्रखण्डवार), **(**5). सहायक अभियन्ता, **(**6).कनिष्ठ अभियन्ता, **(**7).मानचित्रकार

<u>गैर-तकनीकी संवर्ग:</u> **(1).** वित्त नियंत्रक, **(**2). खंडीय लेखाकार / खंडीय लेखाधिकारी, **(**3). प्रशासनिक अधिकारी, **(**4). वैयक्तिक सहायक, **(**5). प्रधान सहायक, **(**6). वरिष्ठ सहायक, **(**7). कनिष्ठ सहायक, **(**8). अनुसेवक

(iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 11/2017 से 11/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-रुद्रप्रयाग के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयीI यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया I प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(vi). खण्ड के भण्डार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह शून्य स्टॉक शून्य है तथा 09/2017 तक की गई।

(vii). फार्म 51: माह 11/2018 तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वीतीय के अवशेष निम्नवत है:- (धनराशि रु में)

भाग प्रथम रु 8289000/-

भाग द्वीतीय रु 9713026/-

(viii). खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष माह 11/2018 के अन्त में (धनराशि रु में)

(क). प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम शून्य

(ख). सामग्री क्रय शून्य

(ग). नकद परिशोधन शून्य

(घ). निक्षेप रु 105049923/-

(ड़). भण्डार शून्य

भाग 2 ब

प्रस्तर 01- अनुबंधित समयावधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण न किए जाने के परिणामस्वरूप दंडात्मक धनराशि रु. 24.01 लाख की वसूली नहीं किया जाना ।

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग ,रुद्रप्रयाग के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि निर्माण कार्यों के अंतर्गत अनुबंध किए गए थे । अनुबंध के साथ संलग्न GPW 9 clause 04 मे समाहित शर्तों के अनुसार शिडयूल A मे दर्शाये माइलस्टोन के अंतर्गत कार्य सम्पन्न किया जाना था तथा विपरीत स्थिति मे बिलंब से कार्य किए जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए दंडात्मक धनराशि अधिरोपित कर वसूले जाने की व्यवस्था की गयी थी ,जिसके अंतर्गत प्रथम माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 2.5% राशि,द्वितीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 3.5% राशि, तथा तृतीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 4.0% राशि ठेकेदार के बिलो से रोकी जाएगी तथा यदि सम्पूर्ण कार्य चतुर्थ माइल स्टोन की अवधि मे पूरा नहीं किया जाता है तो रोकी गयी सम्पूर्ण धनराशि (अनुबंधित राशि का 10%) जब्त कर ली जाएगी एवं अन्यथा की स्थिति मे ठेकेदार के बिलों से वसूल की जाएगी । लेखा परीक्षा पाया गया कि-

(1) जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत विकासखंड जखोली मे घनशाली-मयाली- रुद्रप्रयाग मोटरमार्ग किमी 42.5 से लम्बवाड-खरियालगाँव तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 1.650 किमी थी । कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे । इस कार्य हेतु रु 159.48 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमे से प्रथम चरण के कार्यों हेतु अधीक्षण अभियंता, पौड़ी द्वारा रु. 103.22 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 3 अनुबंधों का गठन किया गया था । संलग्नक-1 के अनुसार सभी अनुबन्धो के अंतर्गत कार्य माह 07/2016 एवं 08/2016 मे पूर्ण किए जाने थे परंतु उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 06-07 माह अधिक अधिक की अवधि लेकर पूर्ण किए गए थे । अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 5.73 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी । परंतु इकाई द्वारा उक्त कार्यवाही किए बिना ठेकेदार को अंतिम भुगतान कर दिया गया था ।

(2) शासनादेश संख्या: 146(1)/XII-2/2015/83(04)/2014 दिनाँक 16 दिसम्बर 2015 द्वारा भीरी-परकण्डी-मक्कू मोटर मार्ग के त्यूंग बैन्ड से त्यूंग गाँव तक मोटर मार्ग (ल.-1.04 किमी.) के निर्माण

हेतु रु111.50 लाख के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रगति रिपोर्ट माह नवम्बर 2018 के अनुसार इस कार्यालय को कुल रु 100.35 लाख अवमुक्त किए जा चुके हैं, जिसके सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि तक कुल व्यय रु65.49 लाख किया गया है। संलग्नक-2 के अनुसार अनुबन्ध के अंतर्गत कार्य माह 11/2016 मे पूर्ण किए जाने थे परंतु लेखा परीक्षा अवधि (12/2018) तक उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 02 वर्ष अधिक बीत जाने के वावजूद भी अपूर्ण था । अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 4.75 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी परंतु इकाई द्वारा उक्त कार्यवाही किए बिना ठेकेदार को भुगतान किया गया था ।

(3) शासनादेश संख्या: 45/XII-2/2015/02(04)/2015 दिनाँक 17 मार्च 2015 द्वारा एलोपैथिक अस्पताल उछाढूंगी (देवीधार) से क्यूंजा मोटर मार्ग (ल.-1.85 किमी.) के निर्माण हेतु प्राक्कलन लागत रु229.59 लाख के सापेक्ष रु199.94 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रगति रिपोर्ट माह नवम्बर 2018 के अनुसार इस कार्यालय को कुल रु158.27 लाख अवमुक्त किए जा चुके हैं, जिसके सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि तक कुल व्यय रु97.16 लाख किया गया है। वर्तमान में स्टेज-I का कार्य प्रगति पर है, जिसकी लागत रु158.27 लाख है। संलग्नक-3 के अनुसार अनुबन्ध के अंतर्गत कार्य माह 05/2017 एवं 08/2017 मे पूर्ण किए जाने थे परंतु लेखा परीक्षा अवधि (12/2018) तक उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से लगभग 1.5 वर्ष अधिक बीत जाने के वावजूद भी अपूर्ण था । अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 10.96 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी परंतु इकाई द्वारा उक्त कार्यवाही किए बिना ठेकेदार को भुगतान किया गया था ।

(4) शासनादेश संख्या: 45/XII-2/2015/02(04)/2015 दिनाँक 17 मार्च 2015 द्वारा उनियाना राँसी मोटर मार्ग से किमी.-3 से राँसी मोटर मार्ग (ल.-0.70 किमी.) के निर्माण हेतु प्राक्कलन लागत रु84.89 लाख के सापेक्ष रु80.08 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसमें से स्टेज-I कार्य हेतु रु54.68 लाख व स्टेज-II कार्य हेतु रु15.95 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त थी। प्रगति रिपोर्ट माह नवम्बर 2018 के अनुसार रु80.08 लाख व्यय कर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। संलग्नक-4 के अनुसार अनुबन्ध के अंतर्गत कार्य माह 11/2016 मे पूर्ण किया जाना था । परंतु उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से लगभग 5.5 माह अधिक का समय लेकर पूर्ण किया गया था । अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 2.57 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी परंतु इकाई द्वारा उक्त कार्यवाही किए बिना ठेकेदार को अंतिम भुगतान कर दिया गया था ।
लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ठेकेदार द्वारा समयवृद्धि हेतु आवेदन किया गया है । समयवृद्धि हेतु इकाई स्तर पर धनराशि रोकी गयी है ।

सक्षम अधिकारी द्वारा जो अर्थदण्ड लगाया जाएगा उसकी वसूली ठेकेदार की विभाग मे जमा जमानती धनराशि से कर ली जाएगी । इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि उसके द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया है तथा धनराशि को वसूल करने का आश्वासन दिया गया है अतः कुल 24.01लाख(5.73+4.75+10.96+2.57=24.01लाख) की दंडात्मक धनराशि की वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

संलग्नक -1

अनुबंध संख्या	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/बिलंब	अनुबंध की धनराशि	अध्यतन भुगतान की राशि
22/ईई16-2015/	08.07.16	28.1.17/(07माह)	1448175	1177972
23/ईई16-2015/	08.08.16	29.1.17/(06माह)	2159656	2300338
/24ईई16-2015/	08.08.16	30.1.17/(06माह)	2123167	2027195
			5730998	

संलग्नक -2

फर्म/ठेकेदार का नाम	**अनुबन्ध संख्या**	**अनुबंध के अनुसारकार्य पूर्ण करनेकी तिथि**	**कार्य पूर्ण करने कीवास्तविकतिथि/ बिलंब (11/2018)**	**अनुबंध की धनराशि**	**अद्दतन भुगतान की राशि**
श्री देवराज सिंह	29/EE/2015-16	21-11-2016	अपूर्ण/24 माह	2660967.00	2416249.00
	30/EE/2015-16	21-11-2016	अपूर्ण/24 माह	2089267.00	1776955.00
योग				**4750234.00**	**4193204.00**

संलग्नक -3

फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	अनुबंध के अनुसारकार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने कीवास्तविकतिथि/ बिलंब (12/2018)	अनुबंध की धनराशि	अद्दतन भुगतान की राशि
श्री हरीहर सिंह रावत	05/EE/2016-17	27-05-2017	अपूर्ण/18 माह	2523353.00	1438345.00
श्री देवराज सिंह	10/EE/2016-17	21-08-2017	अपूर्ण/15 माह	2447071.00	2288233.00
	11/EE/2016-17	21-08-2017	अपूर्ण/15 माह	3039327.00	1676165.00
	12/EE/2016-17	21-08-2017	अपूर्ण/15 माह	2955109.00	1197549.00
योग				**10964860.00**	**6600292.00**

संलग्नक -4

फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब (12/2018)	अनुबंध की धनराशि	अद्दतन भुगतान की राशि
Sh. Jai Singh Chauhan	26/EE/2015-16	09-11-2016	24-04-17/5.5 माह	2573508.00	3629444.00
योग				**2573508.00**	**3629444.00**

भाग 2 ब

प्रस्तर -02- बिना किसी स्वीकृति के रु. 13.53 लाख का व्ययाधिक्य

सामान्यतः किसी भी निर्माण कार्य को कराये जाने से पूर्व उसका आगणन बनाया जाता है जिसमे कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली मदों एवं उनकी मात्रा को दर्शाया जाता है उपरोक्त तथ्यों से संतुष्ट होने के पश्चात ही उच्चाधिकारी द्वारा उसको स्वीकृत किया जाता है। अतः कार्य की मदों एवं मात्रा मे किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है । कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि-

(1) शासनादेश संख्या: 146(1)/XII-2/2015/83(04)/2014 दिनाँक 16 दिसम्बर 2015 द्वारा भीरी-परकण्डी-मक्कू मोटर मार्ग के त्यूंग बैन्ड से त्यूंग गाँव तक मोटर मार्ग (ल.-1.04 किमी.) के निर्माण हेतु रु 111.50 लाख के प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।उक्त कार्य हेतु श्री देवराज सिंह के साथ रु 47.50 लाख के दो अनुबंध गठित किया गए। लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त कार्य के अंतर्गत निम्नवत कार्य अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा में किए गए। इस प्रकार अधिक मात्रा मे किए गए कार्यो हेतु अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी एवं कार्य के उपरांत व्ययाधिक्य की स्वीकृति के लिए विचलन प्रपत्र तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जाना चाहिए था परंतु इस प्रकरण मे कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी। इस प्रकार इस अधिक मात्रा हेतु रु. 8,63,823/- का अधिक व्यय किया गया था जो किसी भी स्वीकृति के अभाव मे पूर्णतः अनुचित था । विवरण निम्नवत है -

Agreement No.	Item of work	Bond Qty.	Executed Qty.	Excess Qty.	Rate	Amount
29/EE/2015-16	RR stone masonry laid dry R.W./B.W.	191.57	436.43	244.86 (127.8%)	1958.20	479484.9
	Providing and laying of boulder apron	20	38.16	18.16 (90.8%)	2124.8	38586.37
30/EE/2015-16	Excavation in foundation for retaining & breastwall	98.54	133.32	34.78 (35.3%)	284.7	9901.87
	RR masonary laid dry in breastwall,retaining wall	133.83	326.6	192.77 (144%)	1958.2	377482
	Cement plum masonry with 40% plum and 60%1.3.7	33.75	56.7	22.95 (68%)	5167.9	118603
	Providing and laying of boulder apron	25	39.37	14.37 (57.48%)	2124.8	30533.4
	Supply fitting and placing HYSD bar reinforcement	3.25	6.08	2.83 (87.08%)	6449.7	18252.7
Total Amount						**1072844.24**
Net Amount (Bond N.-29 is at below 20% + Bond N.-30 is at below 19%)						**863823.00**

(2) जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत विकासखंड जखोली मे घनशाली-मयाली- रुद्रप्रयाग मोटरमार्ग किमी 42.5 से लम्बवाड-खरियालगाँव तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 1.650 किमी थी । कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे । इस कार्य हेतु रु 159.48 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमे से प्रथम चरण के कार्यों हेतु अधीक्षण अभियंता, पौड़ी द्वारा रु. 103.22 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के रु 57.30 लाख के 3 अनुबंधों का गठन किया गया था । लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त कार्य के अंतर्गत निम्नवत कार्य अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा में किए गए । इस प्रकार अधिक मात्रा मे किए गए कार्यों को कराये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी एवं कार्य के उपरांत व्ययाधिक्य की स्वीकृति के लिए विचलन प्रपत्र तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जाना चाहिए था परंतु इस प्रकरण मे कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी । इस प्रकार इस अधिक मात्रा हेतु रु. 70664 - का अधिक व्यय किया गया था जो किसी भी स्वीकृति के अभाव मे पूर्णतः अनुचित था । विवरण निम्नवत है -

अनुबंध संख्या	मद का नाम	अनुबंधित मात्रा	निष्पादित मात्रा	अंतर	मद का मूल्य	व्ययाधिक्य धनराशि
22/EE	Excavation for R/W &B/W	81.10Cum	206.16Cum	125.06	241.20	30164.00
23/EE	Excavation for R/W &B/W	156.44Cum	208.32Cum	51.88	241.20	12513.00
	P&L boulder apron	94.50sqm	101.25sqm	6.75	2017.50	13618.00
	HP stone filling	82.98Cum	107.11Cum	24.13	595.50	14369.00
Total						**70664.00**

(3) शासनादेश संख्या: 45/XII-2/2015/02(04)/2015 दिनाँक 17 मार्च 2015 द्वारा एलोपैथिक अस्पताल उछाढूंगी (देवीधार) से क्यूंजा मोटर मार्ग (ल.-1.85 किमी.) के निर्माण हेतु प्राक्कलन लागत रु229.59 लाख के सापेक्ष रु199.94 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रगति रिपोर्ट माह नवम्बर 2018 के अनुसार इस कार्यालय को कुल रु158.27 लाख अवमुक्त किए जा चुके हैं, जिसके सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि तक कुल व्यय रु97.16 लाख किया गया है। उक्त कार्य हेतु श्री देवराज सिंह के साथ रु 84.43 लाख के 03 अनुबंध गठित किए गए। इस प्रकार अधिक मात्रा मे किए गए कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी एवं कार्य के उपरांत व्ययाधिक्य की स्वीकृति के लिए विचलन प्रपत्र तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जाना चाहिए था परंतु इस प्रकरण मे कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी । इस प्रकार इस अधिक मात्रा हेतु रु. 419397/- का अधिक व्यय किया गया था जो किसी भी स्वीकृति के अभाव मे पूर्णतः अनुचित था। विवरण निम्नवत है -

Agreement No.	Item of work	Approved Qty.	Executed Qty.	Excess Qty.	Rate	Excess paid Amount
11/EE/2016-17	RR stone masonry laid in 1:6 Cement & fine sand morter	129.70	143.02	13.32	2790.50	37169.46
	Cement plum masonry with 40% plum & 60% 1:3:7 Cement concrete	150.00	175.37	25.37	4645.60	117858.87
12/EE/2016-17	RR stone masonry laid in 1:6 Cement & fine sand morter	109.40	141.06	31.62	2790.50	88235.61
	RR stone masonry laid dry R.W./B.W.	113.37	227.35	113.98 (100.54%)	1545.30	176133.29
योग						**419397.23**

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार उक्त मदों का कार्य संपादित कराया गया। संबन्धित ठेकेदारों को उनके अंतिम भुगतान से पूर्व सक्षम स्तर से विचलन स्वीकृत करा लिया जाएगा तथा कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने से उक्त मदों की मात्रा मे वृद्धि हुई जिसका विचलन स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित है । इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है । अतः उच्चाधिकारिओ की बिना किसी पूर्व स्वीकृति के तथा बिना कोई विचलन प्रपत्र स्वीकृत कराये उपरोक्त दोनों कार्यों पर रु. 13.53 लाख(8.63 लाख+0.71 लाख+4.19लाख) का व्ययाधिक्य किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

<u>भाग- 2ब</u>

प्रस्तर-03: Delegation of Power द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा (रु40.00 लाख) का उल्लंघन कर ठेकेदार को अदेय लाभ पहुँचाना।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्यों के अन्तर्गत प्रथम प्रकरण में, शासनादेश संख्या: 45/XII-2/2015/02(04)/2015 दिनाँक 17 मार्च 2015 द्वारा एलोपैथिक अस्पताल उछाढूंगी (देवीधार) से क्यूंजा मोटर मार्ग (ल.-1.85 किमी.) के निर्माण हेतु प्राक्कलन लागत रु229.59 लाख के सापेक्ष रु199.94 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें से स्टेज-I के कार्य हेतु रु158.27 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त थी। दूसरे प्रकरण में, भीरी-परकण्डी-मक्कू मोटर मार्ग के त्यूंग बैन्ड से त्यूंग गाँव तक मोटर मार्ग (ल.-1.04 किमी.) के निर्माण हेतु रु111.50 लाख के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

No authority can enter into agreement(s) into which he is not empowered under prescribed "Delegation of Financial Powers" by the State Government and the financial rules infringed under Para-368 and 369 of the FHB (Vol-6).

The Rule-369 provides that 'No individual contractor may receive second contract in connection with the same work or estimate while the first is still in force, if the total sum of his contracts exceeds the powers of acceptance of the authority concerned'.

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा प्रथम कार्य हेतु गठित 04 अनुबन्धों में से 03 अनुबंधों में उपरोक्त वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। Delegation of Power द्वारा अधिशासी अभियंता हेतु निर्धारित सीमा (रु40.00 लाख) और FHB Vol- VI के प्रस्तर -369 के प्रावधानों के विरूद्ध एक ठेकेदार (श्री देवराज सिंह) के साथ 03 पृथक-पृथक अनुबंध धनराशि रु84.42 लाख एवं इसी प्रकार, दूसरे कार्य में एक ठेकेदार (श्री देवराज सिंह) के साथ 02 पृथक-पृथक अनुबंध धनराशि रु47.50 लाख अर्थात कुल धनराशि रु131.92 लाख के अधिशासी अभियंता स्तर पर गठित किये गये। जिसका विवरण निम्नवत है:-

	Agreements No.	***Cost of Agreement (Amount in Rs.)***
Sh. Devraj Singh	10/EE/2016-17	2447071.00
	11/EE/2016-17	3039327.00
	12/EE/2016-17	2955109.00
	29/EE/2015-16	2660967.00
	30/EE/2015-16	2089267.00
	Total	**13191741.00**

इस सम्बन्ध मे प्रस्तर 370 में यह भी प्रावधान है कि FHB(Vol-6) के प्रस्तर-368 & 369 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक के कार्य हेतु विशेष परिस्थितियों में केवल राज्य सरकार अनुमति दे सकती है।

इस सम्बन्ध में इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि मुख्य अभियन्ता के पत्र के अनुपालन में कार्य के पृथक-पृथक जॉब बनाये गए हैं, प्रत्येक जॉब Independent कार्य की तरह सम्पादन किया जा रहा है तदनुसार ही अनुबन्ध निर्धारित सीमांतर्गत गठित किए गये हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्य की स्वीकृति एक कार्य की थी और विभाग द्वारा इस कार्य को कई जॉब में बांटा गया और ठेकेदार द्वारा कार्य गतिमान रहते हुये पुनः उसी ठेकेदार को कार्य आवंटित किये गये, जो कि निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक के अनुबन्ध एक ही ठेकेदार से किये गये। इसके अतिरिक्त उक्त वित्तीय नियम में स्पष्ट प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में केवल राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक के कार्य कराये जा सकते हैं। जिस हेतु विभाग ने राज्य सरकार से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी, और विभाग ने अपने स्तर से एक कार्य को कई जॉब में बाँटकर एक ही ठेकेदार को अदेय लाभ पहुंचाया।

अतः कार्यदायी संस्था द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के नियम-368 व 369 का उल्लंघन कर ठेकेदार को रु1.32 करोड़ का अदेय लाभ पहुंचाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>- 4:- धनराशि रु 5.20 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखा जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 6 के नियम- 622 के अनुसार तीन वर्षों तक रोकी गई धनराशि का दावा न किये जाने पर अदावाकृत धनराशि को व्यपगत धनराशि के रूप में राजस्व खाते जमा कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- रुद्रप्रयाग की निक्षेप पंजिका भाग- पंचम के निरीक्षण में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा निम्न विवरण के अनुसार, वर्ष 2005 से वर्ष 2013 तक की धनराशि रु 5,20,456/- संबंधितों द्वारा तीन वर्षो से अधिक समय से दावा न किए जाने के बावजूद राजस्व खाते में जमा किए जाने की कार्यवाही नहीं की गई थी। अदावाकृत धनराशि का विवरण:-

क्र. सं.	डिपोजिट पंजिका	धनराशि के संव्यवहार (Transaction) का माह	ठेकेदार/ संबन्धित का नाम (मै./ श्री / श्रीमती)	अवशिष्ठ धनराशि(रु) (as on 30.11.2018)	मद सं. (Item No.)
1	**भाग पंचम**	02/2005	मै. चमोली एसोसिएट्स	7000	7
2	---तदैव---	07/2005	देवराज सिंह रावत	63500	8
3	---तदैव---	07/2005	भोपाल सिंह चौधरी	30000	9
4	---तदैव---	01/2006	देवी प्रसाद थपलियाल	4200	10
5	---तदैव---	01/2006	आषाढ़ सिंह	9000	11
6	---तदैव---	05/2006	रमेश सिंह रावत	5000	12
7	---तदैव---	12/2006	दशरथ प्रसाद	3000	13
8	---तदैव---	10/2007	जय सिंह चौहान	10000	14
9	---तदैव---	11/2007	सूचना का अधिकार	10	15
10	---तदैव---	06/2008	द्वारिका प्रसाद	7000	16
11	---तदैव---	06/2008	सूर्यमणि भट्ट	1000	17
12	---तदैव---	01/2009	शत्रुद्ध्न सिंह नेगी	9000	18
13	---तदैव---	01/2009	वीरपाल सिंह रावत	25000	19
14	---तदैव---	01/2009	जीत सिंह पँवार	5000	20
15	---तदैव---	01/2009	हीरा सिंह नेगी	5000	21
16	---तदैव---	03/2009	धूम सिंह फस्वाण	3000	22
17	---तदैव---	03/2009	छोटिया सिंह	5000	23
18	---तदैव---	04/2009	बद्रीदत्त मंमगाई	51440	24
19	---तदैव---	10/2009	राजवर सिंह	5000	25
20	---तदैव---	02/2010	कुलदीप सिंह कंडारी	5000	26
21	---तदैव---	02/2010	सुंदर सिंह	5000	27
22	---तदैव---	02/2010	प्रेम सिंह बिष्ट	1714	28
23	---तदैव---	02/2010	भगवान सिंह	3000	29

24	---तदैव---	03/2010	गिरिवर सिंह	1958	32
25	---तदैव---	11/2010	मै. विशाल कंस्ट्र. कंप.	25000	34
26	---तदैव---	03/2011	गंगा सिंह	18000	35
27	---तदैव---	07/2011	मै. विजय इले.	5000	36
28	---तदैव---	10/2011	दुलब सिंह	10000	37
29	---तदैव---	10/2011	गोविन्द सिंह नेगी	9000	38
30	---तदैव---	01/2012	शिशुपाल सिंह	100000	39
31	---तदैव---	01/2012	मोतीलाल	19634	40
32	---तदैव---	02/2012	मंगल सिंह	26000	41
33	---तदैव---	03/2012	शिव सिंह	10000	42
34	---तदैव---	09/2012	राजवीर सिंह	6000	43
35	---तदैव---	01/2013	रामेश्वर प्रसाद भट्ट	10000	44
36	---तदैव---	03/2013	सूर्यमणि भट्ट	6000	45
37	---तदैव---	04/2013	विक्रम सिंह बिष्ट	1000	46
38	---तदैव---	11/2013	वरदीप सिंह	10000	47
			योग =	**5,20,456/-**	

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "संबन्धित ठेकेदारों से निरन्तर पत्राचार किया जा रहा है तथा दैनिक समाचार पत्रों में इनका प्रकाशन भी किया जा चुका है। संबन्धित ठेकेदारों से आवेदन प्रस्तुत होने के उपरान्त उक्त धनराशि यथाशीघ्र वापस कर दी जायेगी।" उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि 05 से 13 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी धनराशिया रु 5,20,456/- अदावाकृत अवस्था में आपके प्रखण्ड में माह 11/2018 तक अवरुद्ध पायी गई।

अतः धनराशि रु 5.20 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर -5- रु. 225.48 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, रुद्रप्रयाग की निक्षेप पंजिका भाग तीन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि बिभिन्न ग्राहक विभागो द्वारा निक्षेप कार्यो के अंतर्गत अपने विभाग हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों को कराने हेतु कार्यदाई संस्था के रूप मे विभाग को धनराशि प्रदान की गयी थी । लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राहक विभागो द्वारा उक्त निर्माण कार्यों हेतु धनराशि 18 माह से लेकर 128 माह की अवधि पूर्व प्रदान की गयी थी परंतु विभाग द्वारा उक्त कार्यों को इतनी अवधि मे भी पूरा न कर अपूर्ण रखा गया था तथा उक्त कार्यों की धनराशि को अवरुद्ध रखा गया था जिससे भविष्य मे न सिर्फ इन निर्माण कार्यों की लागत बढ़ेगी बल्कि संबन्धित विभाग भी इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से मिलने वाले लाभ से वंचित थे । इन निक्षेप कार्यों के अंतर्गत 11 विभागो के 31 निर्माणकार्यों (संलग्नक -1) की रु.225.48 लाख की धनराशि विभाग की लापरवाही के चलते लगभग 1.5 वर्ष से लेकर 10.5 वर्ष तक की अवधि से अवरुद्ध रखी गयी थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि जनपद की विषम भोगोलिक परिस्थितियों एवं संबंधित ग्राहक विभाग द्वारा कभी -कभी बिलंब से कार्यस्थल उपलब्ध कराये जाने के कारण कार्यों को पूर्ण करने मे देरी होती है यधपी कार्यों को पूर्ण करने हेतु आदेश दिये गए हैं तथा समस्त निर्माण कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जाएगा । इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्राहक विभागों द्वारा 1.5 वर्ष से लेकर 10.5 वर्ष तक की अवधि पूर्व ही धनराशि उपलब्ध करा दी थी जो की निर्माण कार्यों को करने के लिए पर्याप्त समय से भी अधिक था यदि कुछ कार्यों को किया जाना संभव नहीं था तो उसकी धनराशि तत्समय ही ग्राहक विभाग को वापस कर दी जानी चाहिए थी धनराशि को इतने लंबे समय तक अवरुद्ध रखे जाने का कोई औचित्य नहीं था । इस प्रकार इकाई द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत कुल रु. 225.48 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
AIR-61/2005-06	Nil	1,2
AIR-81/2006-07	Nil	Nil
AIR-15/2010-11	1,2,3	01
AIR-39/2014-15	Nil	1,2,3,4
AIR-91/2016-17	Nil	1
AIR-128/2017-18	1	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
AIR-61/2005-06	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2	लंबित ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों के अनुमोदन पश्चात लेखापरीक्षा को प्रेषित की जायेगी।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
AIR-15/2010-11	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1,2,3 भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1	तदैव	तदैव	--
AIR-39/2014-15	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2,3,4	तदैव	तदैव	---
AIR-91/2016-17	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1	तदैव	तदैव	---
AIR-128/2017-18	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1 भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2	तदैव	तदैव	---

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री श्रीपति डोभाल	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, विकास भवन परिसर, प्रखण्ड- रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195" को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.